

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक :

15 APR 2011

--: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा उनकी पंचम श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचम श्रेणी राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री कन्हैया लाल शर्मा सुरक्षा प्रहरी राजस्थान विधान सभा,, जयपुर	5/ए/3 गॉधीनगर (जी-941 के स्थान पर)	30.9.2029	23/04
2.	श्री रामशरण शर्मा कनिष्ठ लिपिक जिला कलेक्ट्रेट,, जयपुर	5/79 गॉधीनगर	30.9.2025	46/04
3.	श्रीमती वन्दना शर्मा कनिष्ठ लिपिक रोजगार निदेशालय, जयपुर	5/82 गॉधीनगर	31.10.2034	58/04
4.	श्री नाथू लाल खीची वरिष्ठ लिपिक वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/94 गॉधीनगर (जीए/5/टी-1/125 विद्याधरनगर के स्थान पर)	31.10.2015	09/07
5.	श्री तरुण कुमार संगणक पशुालन विभाग, जयपुर	5/डी/5 गॉधीनगर	31.8.2030	61/04
6.	श्रीमती शोभा मेहता कनिष्ठ लिपिक नगरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, जयपुर	5/107 गॉधीनगर	31.12.2038	68/04
7.	श्रीमती मंजू सोनी कनिष्ठ लिपिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती मामले विभाग, जयपुर	5/बी/19 गॉधीनगर	31.12.2028	87/04
8.	श्री नरेन्द्र परीक कनिष्ठ लिपिक कार्मिक(ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/135 गॉधीनगर	31.8.2038	39/10

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को

यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय
9. कं सं० 1,5 एवं 7 पर अंकितों से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि ₹ 75/- (अक्षरे पच्चहतर मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

आज्ञा से,
E

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा/पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. सहायक सचिव(संस्थापन). राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. उप निदेशक(प्रशासन) रोजगार निदेशालय, जयपुर।
5. सिनियर स्टाफ अधिकारी, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा मु० जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. उपायुक्त(प्रशासन) नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि० गौंधीनगर, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर/ पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
13. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
14. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

Ok(web.)
A
20-4-2011